भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
कार्यालय महाप्रबन्धक,
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना
नीमच. 458441 (म.प्र.)

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Finance
Department of Revenue,
Office of the General Manager,
Govt. Opium & Alkaloid Works,
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423–220614 फेक्स Fax : 07423–220647

फा.सं. I(20)011/Pur./G/2017 दिनांक : 19/09/2018

प्रति,

मेसर्स——————————

————————————

————————————

प्रिय महोदय,

विषय :– इस संस्थान में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरा एंव सिस्टम के वार्षिक रख रखाव संबंधी कार्य करने हेतु निविदा के संबंध में।

शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना, नीमच में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरा एंव सिस्टम के सविवरण आधार पर निम्न कार्यो / सेवाओं हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिष्ठित फर्मो से बंद लिफाफे में, निर्धारित प्रोर्फामा में, दर उल्लेखित करने हेतु कोटशन आमंत्रित किए जाते है। कोटेशन को दिनांक 23/10/2018 तक 15.00 बजे अपरान्ह तक दिया जा सकता है उपरोक्त दिनांक एंव समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन स्वीकार नही किए जाऐंगें। कोटशन दिनांक 23/10/2018 को 16.00 बजे खोले जाऐंगे।

क.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा
1.	शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना, नीमच में एंव उसकी आवासीय कॉलोनियों (अल्कोलॉईड कॉलोनी एंव संजीवनी कॉलोनी) में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरे एंव सिस्टम के अंतर्गत कुल 05 कैमरे (PTZ, Hikvision)एंव 29 कैमरे (Fixed Lens, Hikvision) एंव अन्य आवश्यक संबंधित उपकरण (DVR, LED, NETWORK, SWITCH, ETC.) लगे है जिनका चार मुख्य नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मॉनिटरिंग का कार्य हो रहा है। उक्त का लगातार संचालन एंव वार्षिक रखरखाव का कार्य किया जाना है। वार्षिक रख रखाव के दौरान सी.सी.टी.वी. एंव उसके सिस्टम में उपयोग आने वाले समस्त सामग्री / उपकरण की यदि आवश्यकता लगती है तो वह भी रखरखाव करने वाली फर्म को उपलब्ध कराना होगा जिसका कि पृथक से भुगतान इस संस्थान द्वारा किया जाएगा। **<u>कार्य का विवरण</u>** कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त सभी सामानो (Hardware, Software, Cable) की पूरी जिम्मेदारी (मरम्मत या पूर्णतया बदलने) का कार्य फर्म का होगा। जिसे कि फर्म को ही उपलब्ध करवाना होगा। सी.सी.टी.वी. सिस्टम में स्थापित कुल 05 कैमरे (PTZ, Hikvision)एंव 29 कैमरे (Fixed Lens, Hikvision)एंव उनसे संबंधित समस्त उपकरण एंव केबल व्यवस्था को सप्ताहिक / आवश्यकता होने पर जांच करना एंव किसी प्रकार की कमी पाये	One Job

	जाने पर उसे ठीक करना, एंव आवश्यकता पडने पर किसी भी मानिटरिंग सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करना एंव स्थापित करना, कार्य मे लगे सभी कम्प्यूटर (Work Stand) के Hardware & Software को ठीक रखना होगा। **<u>नियम एंव शर्ते</u>** (1) दर दाता को सी.सी.टी.वी. मरम्मत के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिसका प्रमाण पत्र दर प्रस्तुत करते समय की संलग्न करना होगा। (2) सी.सी.टी.वी. सिस्टम में अचानक किसी भी प्रकार की कमी या समस्या आने पर फर्म को सूचना के 2 घण्टे के अन्दर उत्पन्न कमियों को दूर करना होगा तथा आवश्यकता पडने पर तुरन्त उसी प्रकार के कैमरे की व्यवस्था फर्म स्वंय के द्वारा करके कार्य को चालू रखना होगा एंव पूरे सिस्टम को यथानुसार कार्य योग्य करना होगा। (3) फर्म द्वारा सूचना देने के उपरान्त कार्य न करने पर रु.5,000/– का प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है। (4) दर दाता को पिछले 5 (पांच) वर्षों में इस तरह के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।(आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति अपने कोटेशन के साथ संलग्न करें) (5) System के Software को ठीक रखना एंव उसमें किसी भी प्रकार की कमी को फर्म द्वारा तुरन्त ठीक करना होगा। (6) System के पूरे Cable (Optical Fiber, Cat-5 Cable, Power Cable) एंव (Conduit Joint , Pipe) इत्यादि का रखरखाव एंव उनकी कमियों को तुरन्त ठीक करना होगा। (7) संस्थान में सामान्य पाली के अतिरिक्त अन्य समय (सुरक्षा द्वार) बन्द रहने की स्थिति में यदि सिस्टम में किसी प्रकार की खराबी आती है तो सुरक्षा द्वारा खुलने के तुरन्त बाद सभी कमियों का फर्म द्वारा दूर करना है। ताकि सिस्टम तुरन्त कार्य कर सके। (8) फर्म द्वारा यदि कुल तीन बार कार्य के प्रति लापरवाही पायी जाती है तो उस स्थिति में फर्म द्वारा जमा Performance Security को जब्त कर किसी अन्य फर्म से कार्य को कराया जा सकता है।	

नोट :–(1) दर की वैधता के अन्दर सचना देकर कार्य की अवधि में 25 प्रतिशत /तीन माह की बढोतरी हो सकती है।

(2) उक्त निविदा इस संस्थान के वेबसाइट (www.gooaf.gov.in) तथा भारत सरकार के www.eprocure.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है।

<u>नियम एंव शर्त</u> :–

(1) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन प्रोफार्मा के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उस पर विचार नही किया जाएगा। दर के साथ साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक कार्य की कुल कीमत (कॉलम 6) एंव संपूर्ण कार्य की कुल कीमत को अन्त में अंको एंव शब्दों में लिखना अनिवार्य है तथा ऐंसा न करने पर कोटेशन पर विचार नही किया जाएगा। कोटेशन में किसी भी तरह की ओवर राईटिंग एंव कटिंग मान्य नही होगी।

(2) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम एंव फर्म की सील आदि न होने पर उसका कोटेशन मान्य नही होगा।

(3) फर्मो के द्वारा कोटेशन दिए जाने के समय अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (E.M.D.)रु.6,000/– मात्र (डिमान्ड ड्राफ्ट /एफ.डी.आर./ बैंकर्स चैक अथवा बैंक ग्यारन्टी के रुप मे जो कि इस संस्थान के सहायक मुख्य लेखा अधिकारी के नाम से बनाया गया हो) जमा करवाना अनिवार्य है । अर्नेस्ट मनी डिपाजिट टेण्डर के साथ नही होने की स्थिति में , टेण्डर पर विचार नही किया जाएगा। फर्म द्वारा कोटेशन प्रोफार्मा के साथ पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न करना होगा।

(4) न्यूनतम दर दाता को विभाग द्वारा सूचना देने के अनुसार कार्य के कुल लागत का 5 % Performance Security (डिमान्ड ड्राफ्ट /एफ.डी.आर./ बैकर्स चैक अथवा बैंक ग्यारन्टी के रुप मे जो कि इस संस्थान के आहरण एंव वितरण अधिकारी के नाम से बनाया गया हो) जमा करवाना अनिवार्य है जिसे कि वार्षिक रख रखाव /आवश्यक सामग्री की संतोषजनक आपूर्ति के पश्चात अनुबंधित फर्म को इस संबंध में पत्र प्राप्ति के पश्चात पुनः लौटा दी जाएगी।

(5) फर्म द्वारा दिए गए दर की वैधता वार्षिक अनुबन्ध जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए वैध होगी। इस संबंध में एक वर्ष से कम की वैधता मान्य नही होगी। कोटेशन दाता द्वारा कम दिनो की वैधता देने की स्थिति मे उनके कोटेशन पर विचार नही किया जावेगा।

(6) कार्य में अयुक्तियुक्त (अन–रिजनेबल) देरी होने से कार्य आदेश (वार्षिक अनुबन्ध)/कार्य पूर्ण (वार्षिक अनुबन्ध) करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है इस संबंध में इस संस्थान के महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम एंव मान्य होगा।

(7) दर दाता द्वारा दी गई दरों को बढाने के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रस्ताव पर विचार नही किया जाएगा।

(8) शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना, नीमच का जी.एस.टी. क्रमांक 23AAALG3870G1ZD है।

(9) महाप्रबन्धक शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना, नीमच को किसी भी निविदा अथवा वार्षिक दर अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।

(10) सभी विवादों का न्याय क्षेत्र नीमच होगा।

संलग्न :– कोटेशन देने हेतु प्रोफॉर्मा

प्रबन्धक

प्रबंधक
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना
नीमच (म. प्र.)

बंद लिफाफे में

कोटेशन प्रोफॉर्मा

सेवा में,

महाप्रबन्धक
शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना
नीमच –458 441(म.प्र.)

महोदय,

निम्नलिखित कार्य को करने हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा.सं.I(20)011/Pur./G/2017 दिनांक 19/09/2018 के संदर्भ में हमारी दरें निम्नानुसार होगी :–

क. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति युनिट	कर यदि कोई देय हो तो	कुल कीमत (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
	शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना, नीमच में एंव उसकी आवासीय कॉलोनियों (अल्कोलॉईड कॉलोनी एंव संजीवनी कॉलोनी) में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरे एंव सिस्टम के अंतर्गत कुल 05 कैमरे (PTZ, Hikvision)एंव 29 कैमरे (Fixed Lens, Hikvision)एंव अन्य आवश्यक संबंधित उपकरण (DVR, LED, NETWORK, SWITCH, ETC.) लगे है जिनका चार मुख्य नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मॉनिटरिंग का कार्य हो रहा है। उक्त का लगातार संचालन एंव वार्षिक रखरखाव का कार्य किया जाना है। वार्षिक रख रखाव के दौरान सी.सी.टी.वी. एंव उसके सिस्टम में उपयोग आने वाले समस्त सामग्री / उपकरण की यदि आवश्यकता लगती है तो वह भी रखरखाव करने वाली फर्म को उपलब्ध कराना होगा जिसका कि पृथक से भुगतान इस संस्थान द्वारा किया जाएगा। **कार्य का विवरण** कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त सभी सामानो (Hardware, Software, Cable) की पूरी जिम्मेदारी (मरम्मत या पूर्णतया बदलने) का कार्य फर्म का होगा। जिसे कि फर्म को ही उपलब्ध करवाना होगा। सी.सी.टी.वी. सिस्टम में स्थापित कुल 05 कैमरे (PTZ, Hikvision)एंव 29 कैमरे (Fixed Lens, Hikvision) कैमरों एंव उनसे संबंधित समस्त उपकरण एंव केबल व्यवस्था को सप्ताहिक / आवश्यकता होने पर जांच करना एंव किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर उसे ठीक करना, एंव आवश्यकता पडने पर किसी भी मानिटरिंग सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह	One Job			

	परिवर्तन करना एंव स्थापित करना, कार्य मे लगे सभी कम्प्यूटर (Work Stand) के Hardware & Software को ठीक रखना होगा। **<u>नियम एंव शर्ते</u>** (1) दर दाता को सी.सी.टी.वी. मरम्मत के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिसका प्रमाण पत्र दर प्रस्तुत करते समय की संलग्न करना होगा। (2) सी.सी.टी.वी. सिस्टम में अचानक किसी भी प्रकार की कमी या समस्या आने पर फर्म को सूचना के 2 घण्टे के अन्दर उत्पन्न कमियों को दूर करना होगा तथा आवश्यकता पडने पर तुरन्त उसी प्रकार के कैमरे की व्यवस्था फर्म स्वंय के द्वारा करके कार्य को चालू रखना होगा एंव पूरे सिस्टम को यथानुसार कार्य योग्य करना होगा। (3) फर्म द्वारा सूचना देने के उपरान्त कार्य न करने पर रु.5,000/— का प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है। (4) दर दाता को पिछले 5 (पांच) वर्षों में इस तरह के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।(आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति अपने कोटेशन के साथ संलग्न करें) (5) System के Software को ठीक रखना एंव उसमें किसी भी प्रकार की कमी को फर्म द्वारा तुरन्त ठीक करना होगा। (6) System के पूरे Cable (Optical Fiber, Cat-5 Cable, Power Cable) एंव (Conduit Joint , Pipe) इत्यादि का रखरखाव एंव उनकी कमियों को तुरन्त ठीक करना होगा। (7) संस्थान में सामान्य पाली के अतिरिक्त अन्य समय (सुरक्षा द्वार) बन्द रहने की स्थिति में यदि सिस्टम में किसी प्रकार की खराबी आती है तो सुरक्षा द्वारा खुलने के तुरन्त बाद सभी कमियों का फर्म द्वारा दूर करना है। ताकि सिस्टम तुरन्त कार्य कर सके। (8) फर्म द्वारा यदि कुल तीन बार कार्य के प्रति लापरवाही पायी जाती है तो उस स्थिति में फर्म द्वारा जमा Performance Security को जब्त कर किसी अन्य फर्म से कार्य को कराया जा सकता है।				

कुल कीमत (अंको एंव शब्दों मे) : रुपये--

अफीम एवं क्षारोद

नियम एंव शर्त :–

(1) मैं उपरोक्त कार्य को , वार्षिक दर अनुबन्ध /आदेश मे दी गई समय सीमा के अन्दर पूर्ण करुंगा। विलम्ब से (निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद) कार्य करने पर वार्षिक दर अनुबन्ध /आदेश के नियम एंव शर्तो के अनुसार मुझे जुर्माना देय होगा।

(2) कोटेशन के साथ अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (E.M.D.)रु.6,000/– मात्र (डिमान्ड ड्राफ्ट /एफ.डी.आर./ बैकर्स चैक अथवा बैंक ग्यारन्टी के रुप संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

(3) वार्षिक दर अनुबन्ध /आदेश हमारे पक्ष में जारी होने के पश्चात हमारे द्वारा कार्य के कुल लागत का कुल 5% Performance Security (डिमान्ड ड्राफ्ट /एफ.डी.आर./ बैकर्स चैक अथवा बैंक ग्यारन्टी के रुप मे जो कि इस संस्थान के आहरण एंव वितरण अधिकारी के नाम से बनाया गया हो) जमा करवाया जाएगा जिसे कि वार्षिक रख रखाव /आवश्यक सामग्री की संतोषजनक आपूर्ति के पश्चात मुझे पुनः लौटा दी जाएगी।

(4) हमारे द्वारा दिए गए दर की वैधता वार्षिक अनुबन्ध जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(5) मेरे द्वारा कार्य करने में अयुक्तियुक्त (अन–रिजनेबल) देरी होने से कार्य आदेश (वार्षिक अनुबन्ध) कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जवाबदेही हमारी होगी। एंव इस संबंध में शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना, नीमच के महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम एंव मान्य होगा।

(6) कोटेशन में शासकीय अफीम एंव क्षारोद कारखाना, नीमच द्वारा दर्शाई गई समस्त नियम एंव शर्ते हमें मान्य होगी।

भवदीय

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर :

फर्म की सील :

फर्म का पूरा नाम व पता :

GSTN NO. :